

खिलानाम दर्ज कार दिया गया है।

अतः बाद बाद स्वीकार किया जाकर
व्यक्ति एवं पुत्र को ग्राम जालारिया की हाल
अ.नं. 583 रकबा 5.48 है. से से रकबा 0.4 बीघा
अर्थात् 1.00 हेक्टर भूमि का स्वामिदार कारतकार
संशोधित किया जाता है।

आज यह निर्णय सुलेखापालप
में सुनाया गया।

पञ्जावली पेशाल सुमार होकर
नाम्बर से काम हो।

(देवी सिंह)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल

27.10.15

पञ्जावली पेश हुई, प्रकरण में तहसीलदार माण्डल की
रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया गया कि वारिगण
की सैरलमेन्ट (मू.पुबन्ध) से पूर्व 4 बीघा भूमि
अर्थात् 0.86 हेक्टर भूमि आवेदन हुई थी। जब
कि प्रकरण में 1.00 हेक्टर के बजाय 0.86 हेक्टर
होनी चाहिये थी।

अतः मामले में 1.00 हेक्टर के बजाय
0.86 हेक्टर अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।
संशोधित डिफ्री जारी है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर माण्डल